भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 844
दिनांक 07.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीसीसी देशों में प्रवासी मजदूरों की शिकायतें

844. डॉ. शशि थरूरः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के प्रत्येक देश और सम्पूर्ण जीसीसी के देशों के बीच उक्त प्रवासियों का प्रतिशत कितना है;

(ग) जीसीसी देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों में से केरल के प्रवासियों का प्रतिशत कितना है;

(घ) गत दस वर्षों के दौरान जीसीसी देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी श्रमिकों से प्राप्त श्रम शिकायतों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ड.) क्या वास्तव में भारत दुनिया भर में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी लोगों को भेजने वाला और विप्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा जीसीसी देशों और अन्य देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासी श्रमिकों से प्राप्त श्रम संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अकुशल कामगार, कुशल कामगार और पेशेवरों सहित लगभग 15 मिलियन भारतीय नागरिक विदेशों में हैं। भारत से बड़ी संख्या में कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल कामगार खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। जीसीसी देशों में हमारे मिशनों/केंद्रों के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, इन देशों में रहने वाले भारतीयों की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	देश	भारतीयों की अनुमानित संख्या
1.	संयुक्त अरब अमीरात	38,90,953
2.	सऊदी अरब	26,45,302
3.	कुवैत	10,07,961
4.	कतर	8,30,491
5.	ओमान	6,64,783
6.	बहरीन	3,32,289
	कुल	93,71,779

यह मंत्रालय ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से 18 ईसीआर देशों में से किसी भी देश में रोजगार के लिए जाने वाले उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक भारतीय कामगारों के संबंध में जानकारी रखता है। ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से पिछले चार वर्षों के दौरान जीसीसी देशों में विदेशी रोजगार के लिए प्रवास करने वाले भारतीय कामगारों को जारी की गई उत्प्रवास अनापत्ति (ईसी) का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
जीसीसी देशों के लिए जारी की गई ईसी की कुल संख्या	129262	356383	380008	375418
जीसीसी देशों के लिए केरल से प्रवासियों को जारी किए गए ईसी की संख्या	10549	16183	18168	16524
केरल से जीसीसी देशों में प्रवासियों को जारी किए गए ईसी का प्रतिशत (% में)	8.16	4.54	4.78	4.40

तथापि, जिन लोगों ने उत्प्रवास अनापत्ति नहीं ली है, उनका विवरण नहीं दर्शाया गया है। जीसीसी देशों में भारतीय मिशनों/केंद्रों को प्राप्त शिकायतों की वर्षवार संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	सऊदी अरब	यूएई	कुवैत	कतर	ओमान	बहरीन
2015	1989	2008	3986	1130	969	693
2016	7310	2368	4187	1162	2199	783
2017	4346	3756	4481	1385	3009	895
2018	8218	2153	3287	522	3232	466
2019	4856	2888	5286	393	2606	597
2020	3437	2547	3965	370	1116	627
2021	2992	2727	4339	475	933	355
2022	5129	3206	5660	525	1448	638
2023	4881	3456	7820	455	3037	737
2024	2497	3717	3728	179	1991	627

(ङ) से (च) भारतीय प्रवासी दुनिया के सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक हैं। वर्ल्ड बैंक प्रवासन एवं विकास संक्षिप्त 2023 के अनुसार, भारत वर्ष 2023 के लिए दुनिया में धन प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता था।

सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इसने प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) और प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण (पीडीओटी) जैसी अनेक पहल की हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय प्रवासी कामगार (श्रमिकों सहित) सुरक्षित प्रवास कर सकें, गंतव्य देशों में उनके काम करने और रहने की उचित परिस्थिति हो, वे अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हों और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) एक अनिवार्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य 18 ईसीआर देशों में रोजगार के लिए जाने वाले ईसीआर श्रेणी के भारतीय प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करना है। यह योजना दो साल के लिए 275 रुपये या तीन साल की वैधता के लिए 375 रुपये के मामूली बीमा प्रीमियम पर 10 लाख रुपये का बीमा कवर और आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता

के कारण नौकरी छूटने की स्थिति में अन्य लाभ प्रदान करती है। पीडीओटी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा सॉफ्ट स्किल्स पर चलाए जाने वाला एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

विदेश स्थित हमारे मिशन/केंद्र भी भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडबल्यूएफ़) का उपयोग विदेश में भारतीय नागरिकों और उनके आश्रितों को संकट के समय साधन परीक्षण के आधार पर कानूनी सहायता सहित अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए करते हैं, जिसमें परिवार की सहमति से शव को भारत लाने या स्थानीय स्तर पर दाह संस्कार करने और मृत्यु दावों के निपटान की प्रक्रिया शामिल है। वर्ष 2014 से मार्च 2024 तक, इस कोष के तहत विदेश में भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा लगभग 656 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है और लगभग 3,50,194 भारतीयों को सहायता प्रदान की गई है।

सरकार ने विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं ताकि विदेशों में भारतीय कामगारों को किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता होने पर वे उनसे संपर्क कर सकें। कामगार विभिन्न माध्यमों जैसे वॉक-इन, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबर, शिकायत निवारण पोर्टल जैसे मदद, सीपीग्राम तथा ई-माइग्रेट और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। संकट में फंसे भारतीय कामगारों को सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली और दुबई (यूएई), रियाद और जेद्दा (सऊदी अरब का साम्राज्य) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों ने भी टोल फ्री हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबरों सहित 24X7 हेल्पलाइनें स्थापित की हैं तथा मोबाइल ऐप भी लांच किए हैं, ताकि भारतीय नागरिक संकट या आपातकालीन स्थिति में संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकें।

खाड़ी देशों में स्थित मिशनों/केंद्रों में समर्पित श्रम शाखाएँ भी हैं जो श्रम संबंधी शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करती हैं। बहरीन, कुवैत, मलेशिया, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश, जहां बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक हैं, में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों के लिए आश्रय गृह स्थापित किए गए हैं। ये आश्रय गृह संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजे जाने तक निःशुल्क भोजन और आवास प्रदान करते हैं।

विदेशी नियोक्ताओं (एफई) के खिलाफ प्रवासी श्रमिकों से शिकायत प्राप्त होने पर, संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र नियोक्ता/स्थानीय अधिकारियों के साथ मामले को उठाते हैं। किसी भी विदेशी नियोक्ता की गलती पाए जाने पर, उन्हें पूर्व अनुमोदन श्रेणी (पीएसी) के तहत रखा जाता है और संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र के साथ उचित परामर्श के बाद ही उस विशेष विदेशी नियोक्ता के माध्यम से भारतीय श्रमिकों को आगे रोजगार की अनुमति दी जाती है। विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के तत्वावधान में आयोजित संयुक्त कार्य समूह की आवधिक बैठकों में भी विदेशी नियोक्ताओं से संबंधित मुद्दे उठाए जाते हैं।

भारतीय मिशन/केंद्र विदेशों में भारतीय कामगारों से बातचीत करने, उनसे फीडबैक प्राप्त करने तथा उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में नियमित रूप से ओपन हाउस और कोंसली शिविरों का आयोजन करते हैं।

*****